आदेश की क्रम सं० और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीक्ष सहित।
1	2	3

न्यायालय, अंचल अधिकारी, धुरकी।

P
812 dt 30.12.23

विविध वाद संख्या–01/2023–24

सफीना खातून ..... **अपीलार्थी**

– बनाम –

श्याम सुन्दर भुईयां ..... **विपक्षी**

आदेश

आवेदिका के आवेदन के आलोक में यह वाद संधारित करते हुए पक्षकारों को सूचना निर्गत की गयी। ग्राम धुरकी के हाल खाता नं0 – 59 प्लॉट नं0 – 200 रकबा 18.75 एकड़ भूमि वाद का विषय वस्तु है।

प्रथम सुनवाई दिनांक 10.10.2023 को हुई। प्रथम पक्ष के द्वारा बताया गया कि भूमि श्रीमति चांद कुमारी, पुत्री महेश कर्ण सिंह से खरीदगी की गयी है। जिसका नामांतरण किया गया है एवं 2017 में ऑनलाईन रसीद निर्गत है। प्रथम पक्ष से Correction Slip/ मूल केवाला उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। विपक्षी के द्वारा बताया गया कि दो बासगीत पर्चा से भूमि हासिल है। वर्तमान में दखल द्वितीय पक्ष का है।

सुनवाई दिनांक 31.10.2023 को हुई। उभय पक्ष उपस्थित। प्रथम पक्ष के द्वारा केवाला की छाया प्रति, शुद्धि पत्र, रसीद पुराना एवं नया, नापी प्रतिवेदन समर्पित किया गया। द्वितीय पक्ष बासगीत प्रमाण पत्र का छाया प्रति, ऑफलाईन रसीद का छाया प्रति समर्पित किया गया।

सुनवाई दिनांक 16.11.2023 को हुई। उभय पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष के द्वारा बताया गया कि दो बासगीत पर्चा से 19 डी0 भूमि प्राप्त है। इसके अतिरिक्त 41 डी0 भूमि के बारे में इनसे कागजात की मांग की गयी तो इनके द्वारा बताया गया कि हाल खतियान में अवैध दखल दिया है इसी के आधार पर यह भूमि मेरे कब्जे में है इसके अलावा और कोई कागजात नहीं है।

सुनवाई दिनांक 30.11.2023 को हुई। उभय पक्ष उपस्थित। राजस्व कर्मचारी का जॉच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। जॉच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि सफीना खातून, पति अलिमुदीन अंसारी ने केवाला संख्या 2436 दिनांक 03.04.2008 से भूमि प्राप्त किया जिसका गत सर्वे खाता 02 प्लॉट 52 एवं हाल सर्वे खाता 59 प्लॉट 200 है। केवाला होने के पश्चात सफीना खातून, पति अलिमुदीन अंसारी द्वारा दाखिल खारिज हेतु ऑनलाईन आवेदन किया। ऑनलाईन आवेदन के पश्चात केवाला, हाल सर्वे खतियान एवं भूमि के भौतिक सत्यापन के आधार पर केश नं0 101/227 2019–20 द्वारा दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गयी है। दाखिल खारिज होने के पश्चात सफीना खातून, पति अलिमुदीन अंसारी द्वारा भूमि का सीमांकन करने के लिए ऑनलाईन आवेदन किया गया। आवेदन के आलोक में दिनांक 26.08.2020 को अंचल अमीन के द्वारा सीमांकन करते हुए खुटागड़ी कर दिया गया। सीमांकन होने के पश्चात श्याम सुंदर भुईयां, पिता गुलाब भुईयां द्वारा रात को उक्त भूमि पर मड़ई का निर्माण कर कब्जा कर लिया गया। उसके पश्चात तत्कालीन अंचल अधिकारी द्वारा धुरकी थाना को पत्र के माध्यम से जिसका पत्रांक 340 दिनांक 22.09.2020 है उक्त भूमि पर श्याम सुंदर भुईयां, पिता गुलाब भुईयां के द्वारा अवैध रूप से बनाये गये मड़ई को हटवा कर इनके विरूद्ध कार्रवाई करने का निदेश दिया गया था।

दोनों पक्षों को नोटिस के माध्यम से अंचल कार्यालय धुरकी में अपने राजस्व कागजातों के साथ उपस्थित होने का आदेश दिया गया। जिसके पश्चात सफीना खातून एवं श्याम सुंदर भुईयां द्वारा अपना अपना कागजात के साथ अंचल कार्यालय में उपस्थित हुए। कागजातों के अवलोकन के पश्चात पाया गया कि अंचल अधिकारी, धुरकी के वासगित केश नं0 2/1/2008–09 द्वारा खाता 2 प्लॉट 57/1 रकबा 10 डी0 एवं 2 प्लॉट 57/2 रकबा 9 डी0 कुल 19 डी0 क्रमशः श्रीमति सरीफा देवी पति श्याम सुन्दर राम एवं मनोज कुमार भुईयां, पिता श्याम सुंदर राम, ग्राम धुरकी के नाम से निर्गत किया गया। अंचल कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख से मिलान करने पर सही पाया गया।

पुनः सफीना खातून, पति अलिमुदीन अंसारी के द्वारा सीमांकन का आवेदन किया गया जिसके आलोक में अंचल अमीन द्वारा दिनांक 12.05.2023 को ग्रामीणों की उपस्थिति में नापी पूर्ण किया गया। अंचल अमीन ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट किया है कि श्याम सुंदर भुईयां द्वारा प्रस्तुत किया गया राजस्व कागजात में वर्णित भूमि एवं सफीना

खातून पति अलिमुदीन असारी द्वारा समर्पित केवाला मे वर्णित भूमि अलग है तथा श्याम सुदर भुईया पिता गुलाब भुईया का खाता सं0 59 प्लॉट 200 पर अवैध कब्जा पाया। वर्तमान मे भूमि पर श्याम सुदर भुईया पिता गुलाब भुईया का दखल कब्जा है।

चूंकि प्रथम पक्ष केवाला संख्या 2436 दिनाक 03.04.2008 से भूमि प्राप्त किये है तथा केश नं0 101/227 2019-20 द्वारा दाखिल खारिज हुआ है लेकिन इनका दखल-कब्जा नही है। वही दूसरे पक्ष के पास कोई भी कागजात नही है परन्तु उक्त भूमि पर दुसरे पक्ष का अवैध कब्जा है। स्पष्ट है कि यह मामला स्वत्व से सबंधित है। आवेदक अगर चाहे तो सक्षम न्यायालय मे आवेदन देकर अपनी बात रख सकते है। इस निदेश के साथ इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एव सशोधित

28/12/23

अंचल अधिकारी
पुरकी।

28/12/23

अंचल अधिकारी
पुरकी।

Digitally signed by MOHMAD ZULFEKAR ANSARI
Date: 2024.07.08 15:54:25 +05:30
Location: 192.168.43.2